रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1598] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2015/श्रावण 8, 1937
No. 1598] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2015/SHRAVANA 8, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

कोलकाता, 28 जुलाई, 2015

का.आ. 2078(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.146(अ), तारीख 13 जनवरी, 2015 के अधीन जारी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 24 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित की गई थी, कोलकाता महानगर में न्यू गरिया – दमदम एयरपोर्ट परियोजना के न्यू गरिया से तितुमिर स्टेशन तक मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य जनहित संकर्मो के निर्माण के प्रयोजन के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, भवन, पथ, सड़क, नाले, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और केंद्रीय सरकार का, सक्षम प्राधिकारी के रिपोर्ट पर, यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, भवन, पथ, सड़क, नाले, रास्ते या उनमें उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार उपयुक्त लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

अत:, अब, मेट्रो रेलवे (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 10 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट भूमि, भवन, पथ, सड़क, नाले, रास्ते या उनके उपयोग के अधिकार या सुखाधिकार को अर्जित करती है।

अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपूर्ण क्षेत्रों जिनका अर्जन किया गया है का रेखांक सक्षम प्राधिकरी अर्थात अरूप कुमार दास, मेट्रो रेलवे के कार्यालय 39/1, रास बिहारी एवेन्यू, (प्रथम तल), कोलकाता-700026 में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

भूमि अनुसूची

न्यू गरिया से दमदम एयरपोर्ट के बीच मेट्रो रेलवे के निर्माण के संबंध में अधिगृहित की जाने वाली निजी भूमि की अनुसूची

पृष्ट-1/1

क्र. सं.	मौजा तथा क्षेत्राधिकार की सूची	संशोधित निपटान/केडेस्टल सर्वे दाग सं.		अधिग्रहण किए जाने वाले क्षेत्र (वर्ग मी. में)	भूमि की चौहद्दी	अधिग्रहण स्वरूप
1	2	3		4	5	6
	मौजा – पाटुली, क्षेत्राधिकार सूची सं. – 29, थाना – यादवपुर, जिला – दक्षिण 24 परगना	संशोधित निपटान दाग सं.	146-पार्ट	1428.300	उ.-मौजा चक मसर, क्षेत्राधिकार सूची सं. – 30, द.आरएस प्लॉट-304 (मौजा- पाटुली) पू.-आरएस प्लॉट-146, पार्ट & 147(**मौजा-पाटुली**) प.- आरएस प्लॉट -146, पार्ट (**मौजा-पाटुली**)	स्थाई
	वर्गमीटर में अधिगृहित भूमि का क्षेत्रफल =			1428.300		

[सं. एमआर टीएस/डब्ल्यू-90/49 बी/(भूमि अधिग्रहण)]

अंजनी कुमार, मुख्य इंजीनियर/नि-1

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

Kolkata, the 28th July, 2015

S.O. 2078(E).—Whereas, by notification of the Government of India, in the Ministry of Railways number S.O. 146(E), dated the 13th January, 2015 issued under sub-section (1) of section 7 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), published in Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 24th December, 2014, the Central Government gave notice of its intention to acquire lands, buildings, streets, roads, passages or nallahs or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification, for a public purpose for construction of Metro Railway from New Garia to Titumir Station of New Garia – Dum Dum Airport Project and other works connected therewith in the metropolitan city of Kolkata;

And, whereas the Central Government on the report of the Competent Authority is satisfied that the lands, buildings, street road, passages or nallahs or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification, are required for the above said purpose.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Metro Railways (Construction of Work) Act, 1978, the Central Government do hereby acquires the lands, buildings, streets, roads, passages or nallahs or the right of users or easement therein, specified in the Schedule appended to the said notification;

The plan of the area, specified in the schedule which are acquired, is available for inspection in the office of the Competent Authority namely, Shri Arup Kumar Das, Competent Authority, Metro Railway, at 39/1, Rash Behari Avenue,(1st Floor), Kolkata – 700026.

LAND SCHEDULE

SCHEDULE OF PRIVATE LAND TO BE ACQUIRED IN CONNECTION WITH THE CONSTRUCTION OF METRO RAILWAY LINE IN BETWEEN NEW GARIA & DUM DUM AIRPORT

Page-1/1

Serial No.	*Mouza and Jurisdiction list No.*	*Revisional settlement/ Cadestal survey Dag No.*		*Area to be acquired in square meter*	*Boundary of Land*	*Nature of Acquisition*
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Mouza-Patuli, Jurisdiction list Number-29, Thana – Jadavpur, District – South 24 Parganas	Revisional Settlement Dag Number	146-Part	1428.300	North – Mouza chak Masar, Jurisdiction list No. – 30, South– RS Plot-304 (Mouza-Patuli) East– RS Plot–146 Part & 147(Mouza-Patuli) West- RS Plot-146 part(Mouza-Patuli)	Permanent
	Area to be acquired in square meter=			1428.300		

[No. MRTS/W-90/49 B/(Land Acquisition)]

ANJANI KUMAR, Chief Engineer/Con.-1

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.